विचार बिन्दु

थोड़ा सा झूठ भी मनुष्य का नाश कर सकता है। –महात्मा गाँधी

सरकारी स्कूलों में जहां यूनिफार्म के नियम हैं, वहां हिज़ाब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

गया रह दिन बहस के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बैंच ने शिक्षा संस्थानों पर हिजाब के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली रिट् याचिकाओं के निर्णय को सुरक्षित (रिजर्व) रखा है। इन पिटीशन्स की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्णा एस. दीक्षित व न्यायाधीश जे.एम. काजी की पीठ ने की है। माननीय हाईकोर्ट ने इस केस में जो अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी की थी कि कोई भी छात्र/छात्रा ऐसी कोई वेशभूषा क्लास में नहीं पहनेगा जिसका संबंध किसी धर्म से माना गया है। केस में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रेक्टिस (प्रथा) है तथा क्या स्टेट को इस मामले में दखल का अधिकार है? याचिका में यह प्लीड किया है कि हिजाब पहनना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भांति है जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है इस अधिकार पर अंकुश केवल अनुच्छेद 19(2) में दी गई परिस्थितियों में ही हो सकता है। याचिका में राज्य सरकार के दिनांक 05.02.2022 के आदेश को, इस आधार पर चुनौती दी गई है कि कॉलेज डेवेलपमेंट कमेटी को यूनिफार्म निर्धारण के अधिकार हस्तान्तरित नहीं किये जा सकते। यह भी आपत्ति की गई है कि राज्य के एजूकेशन एक्ट में ऐसी किसी कमेटी के अस्तित्व का उल्लेख नहीं है। स्टेट ने अपने रेजिडूअरी पावर के तहत्, उसे इस प्रकार के अधिकार प्राप्त होना बहस में बतलाया है।

एडवोकेट मुछाला ने बहस के समय तर्क दिया कि पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में घोषणा की रिलीफ की प्रार्थना नहीं की है, उसने यह रिलीफ चाहा है कि सरकार के आदेश दिनांक 05.02.2022 को निरस्त (Quash) किया जावे और छात्राओं को हिजाब पहने कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जावे। ये पिटीशन्स प्री-यूनिवर्सिटी स्कूलों जो सरकारी अनुदान नहीं लेते उनके आन्तरिक मामलों में सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं है।

अन्तरिम आदेश के प्रभावित होने पर भी हिजाब का विवाद बरकरार है। छात्राओं ने कुछ दिनों पूर्व ही सोमवार को यह आरोप लगाया कि उडुपी के सरकारी महिला पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची तीन छात्राओं को प्रेक्टिकल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया।

हिजाब को लेकर जगह जगह आन्दोलन हो रहे हैं और अन्तरिम आदेश की अवज्ञा भी हो रही है स्थिति चिन्ताजनक है, इसका समाधान ढूँढना आवश्यक है कानूनी बहस हो चुकी है, हाईकोर्ट को अपना निर्णय देना है। केस की परिस्थितियों में न्यायिक निर्णय आवश्यक है; किन्तु निर्णय ऐसा होना चाहिये जो प्रेक्टिकल हो और समस्या का समाधान हो, जिससे देश में समता, समानता व समरसता का वातावरण बने और देश विकास और उन्नति की ओर आगे बढ़े।

पिटीशन्स में पिटीशनर व प्रतिपक्षीगण की ओर से बहस हो चुकी है। केस में राज्य सरकार की दिनांक 05.02.2022 के आदेश को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार का बचाव क्या है, इस पर ए.जी. ने प्रकाश डाला है, स्पष्टीकरण दिया है, उसे हम पहले समझने का प्रयत्न करें। पिटीशनर के एडवोकेट ने विस्तार से अपना पक्ष रखा है और रेस्पोडेण्ट्स् की ओर से सीनियर एडवोकेट युसूफ मुछाला, रविन्द्र कुमार और मोहम्मद ताहिर ने बहस की है। मुस्लिम छात्राओं की ओर से उनके पक्ष का समर्थन देवदत्त कामत एडवोकेट और कुछ छात्राओं की ओर से ए.एम. दर व सीनियर एडवोकेट गुरू कृष्णा कुमार ने किया है। बहस का स्तर बहुत अच्छा रहा और माननीय न्यायाधीशों ने शालीनता के साथ सबको सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया और सबकी ओर से ए.जी. ने न्यायाधीशों के प्रति आभार अभिव्यक्त किया। बहस में क्या तर्क दिये इस पर हम यहाँ विचार करेंगे।

सबसे प्रथम हम कर्नाटक राज्य के आदेश दिनांक 05.02.2022 पर विचार करें, जिसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है। फुल कोर्ट ने भी राज्य सरकार को इस हेतु स्पष्टीकरण देने को कहा था। ए.जी. ने कहा कि राज्य सरकार का आदेश दिनांक 05.02.2022 किसी भी प्रकार हिजाब के पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है वह तो एक Innocuous Order है जिसमें केवल छात्राओं से आग्रह किया है कि वे शिक्षा संस्थानों में यूनिफार्म के नियमों की पालना करें। माननीय कोर्ट ने दिनांक 10 फरवरी 2022 को यह स्पष्ट किया है कि अन्तरिम आदेश केवल डिग्री कॉलेज व प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों पर लागू होता है जहाँ यूनिफार्म के अपने नियम हैं।

माननीय हाईकोर्ट ने इस केस में जो अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी की थी कि कोई भी छात्र/छात्रा ऐसी कोई वेशभूषा क्लास में नहीं पहनेगा जिसका संबंध किसी धर्म से माना गया है। केस में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रेक्टिस (प्रथा) है तथा क्या स्टेट को इस मामले में दखल का अधिकार है?

सीनियर एडवोकेट देवधर कामत ने मुस्लिम छात्राओं के पक्ष को रखते हुये तर्क दिया कि राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 05.02.2022 जिससे हिजाब पहनने पर पाबन्दी लगाई है, उसका विपरीत प्रभाव छात्राओं के शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार का हनन करता है। राज्य का आदेश छलावा मात्र है। शिक्षा प्राप्त करना मूल अधिकार है, वह किसी प्रकार के बंधन की या निषेध की बात नहीं करता। इस तर्क के विरोध में स्टेट के दृष्टिकोण पर कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में Constitutional Morality अपवाद है और प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ए.जी. ने अपने तर्क के समर्थन में सबरी माला व नवतेज जौहर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अपने समर्थन में रखे। एडवोकेट ताहिर ने राज्य के आदेश को Discriminatory माना; कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 14 के आधार पर राज्य आदेश को चुनौती नहीं दी है और बहस को आगे बढ़ने नहीं दिया।

एडवोकेट मुछाला ने अपनी बहस में स्पष्ट किया और तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की प्रेक्टिस है और धर्म का अभिन्न व महत्वपूर्ण भाग है। हिजाब एक स्कार्फ है जिससे सिर को ढका जाता है और मुंह खुला रहता है इसे निषेध नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार यह इस्लाम धर्म की Bonafide Practice of Conscience है और यह मूल अधिकार है, इसे धर्म की महत्वपूर्ण प्रेक्टिस माने या न माने इसका कोई प्रभाव अनुच्छेद 25 के द्वारा दिये गये अधिकार को प्रभावित नहीं करता। एडवोकेट मुछाला ने प्रसिद्ध विद्वान Muhammad Pickthall के मत को रेफर किया कि इस्लामिक ट्रेडीशन के लिये सिर ढकना आवश्यक है। Hadiths में भी यही कहा है कि हिजाब पहनना आवश्यक है, मुंह ढकने की आवश्यकता नहीं है। सुयोग्य एडवोकेट ने अयोध्या केस का आलम्बन लेते हुये कहा कि ऐसे मामलों में हमें Theological Discussions में नहीं फंसना चाहिये, हमें तो केवल यह देखना चाहिये कि हमारी आस्था और विश्वास सदभाविक हैं या नहीं। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान एडवोकेट मुछाला ने कहा कोर्ट को भी कुरान, हदीथ व Ima को मानना चाहिये। डा. विनोद कुलकर्णी ने स्वयं बहस करते हुये कहा कि हिजाब न पहनना Public Order के विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि टर्की की कोर्ट का आदेश जिसे प्रतिपक्षी ने रेफर किया है स्पष्ट है कि हिजाब पर प्रतिबंध उचित है और भारतीय संविधान ही सुप्रीम लॉ है। यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कोर्ट को सूचित किया कि टर्कीश कोर्ट का निर्णय Over Rule हो गया है यों कोर्ट का मत यह प्रतीत हो रहा था विदेश कोर्ट के निर्णय हमारे यहाँ लागू नहीं होते। एडवोकेट झा ने केरल न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुये कहा कि हाईकोर्ट ने वकीलों के ड्रेस कोड को उचित बन्धककारी माना है। यह भी बहस के दौरान आया कि नमाज इस्लाम धर्म की अभिन्न प्रथा है इसका यह अर्थ नहीं है कि जो नमाजी नहीं है वे इस्लामी नहीं कहे जा सकते।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों की बहस के आधार पर यह माना जा सकता है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण प्रेक्टिस नहीं है। हिजाब पहनना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 05.02.2022 में यूनिफार्म के हेतु नियम बनाने के अधिकार जो कॉलेज डेवेलपमेंट कमेटी को दिये हैं वे Education के अनुसार माने जा सकते हैं। राज्य सरकार का कथन कि हिजाब पहनना Constitutional Morality के टेस्ट पर खरा नहीं है, उचित कहा जा सकता है।

अत: निष्कर्ष यह है कि जिन सरकारी स्कूलों में यूनिफार्म के नियम हैं, वहाँ हिजाब पर प्रतिबंध उचित है। माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा वही बाध्यकारी होगा।

लेख लेखक के व्यक्तिगत मत पर आधारित है। यों कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय भी सबरीमाला के 9 जजों के रेफरेंस के निर्णय पर निर्भर होगा।

सत्यमेव जयते !

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

दवा असली है या नकली इसे जांचना अब होगा आसान

आपने केमिस्ट या ऑनलाइन पोर्टल से जो दवा खरीदी है, वो असली है या नकली, ये पहचानना अब और भी आसान हो जाएगा। मोदी सरकार ने घटिया और नकली दवाओं पर लगाम लगाने का फैसला किया है। हालाँकि केंद्र सरकार का यह फैसला जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने हर दवाई पर कोड बनाए जाने का फैसला किया है, जिसके जरिए नकली और घटिया दवाइयों की बिक्री पर लगाम लगाई जा सकती है।

इसके तहत सरकार ने पैकेजिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स पर अब कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक मात्रा में दवाइयां बनाने में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देश में सबसे तेज गति से बढ़ रहे इस कारोबार के 55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ ही नकली और घटिया की दवाओं का अवैध कारोबार भी बढ़ रहा है । एसोचैम ने अपनी एक रिपोर्ट में देश में बनने वाली कुल दवाओं का 25 प्रतिशत नकली और खराब गुणवत्ता

बाल मुकुन्द ओझा

वाली दवाएं बनने और बिकने का खुलासा किया था, जो विश्व की कुल नकली दवाओं का 35 प्रतिशत है।

आये दिन देश के विभिन्न भागों में घटिया और अमानक दवाऐं पकड़ी जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित विभिन्न देशों में नकली दवाओं का कारोबार लगभग तीस अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सैनिटाइजर

■ एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार देश में बनने वाली कुल दवाओं का 25 प्रतिशत नकली हैं

और मास्क के नाम पर अब कुछ भी बेचा जा रहा है। दवाइयों का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां असली व गुणवत्ता की पहचान करना बेहद कठिन होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत नकली दवाओं का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है।

आप दवाई खरीदने के लिए बाजार में जा रहे हैं तो अपनी दवाइयों को डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा दें । देश में हर बीमारी के लिए नकली दवाएं उपलब्ध हैं। इन नकली दवाओं की पहचान करना आप और हमारे लिए बेहद मुश्किल और लगभग असंभव है। बाजार में साधारण से लेकर असाध्य बीमारियों के टीके तक नकली दवा की कमी नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में इस अवैध कारोबार का नेटवर्क खूब फलफूल रहा है। इन राज्यों में 10 से 20 फीसदी तक नकली दवाइयों का कारोबार है।

हमारे देश में अंग्रेजी दवाइयों ने घर-घर में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। जिसे देखो अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागता मिलेगा। सामान्य बीमारियों से लेकर असाध्य बीमारियों की दवा आज घरों में मिल जाएगी। इनमें चिकित्सकों द्वारा लिखी दवाइयों के अलावा वे दवाइयां भी शामिल है जो मेडिकल स्टोर्स से बीमारी बताकर खरीदी गई है अथवा गूगल से खोजकर निकाली गई है। ये दवाइयां असली है या घटिया अथवा नकली ये भी आम लोगों को मालूम नहीं है। इन नकली दवाइयों के सेवन से साधारण खांसी बुखार और जुखाम को ठीक होने में एक पखवाड़ा या महीना लग जाता है। इसके बावजूद ऐसी दवाइयां खरीदने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। अनेक बार बड़े मुनाफे के चक्कर में दुकानदार घटिया दवाएं लोगों को थमा देते है जो आगे जाकर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होती है। पढ़े लिखे लोगों को भी बिना डॉक्टर को दिखाएं ऐसी दवाएं खरीदते देखा जा सकता है। सरकारी दुकानों पर मिलीभगत से ब्रांडेड दवा के नाम से नकली दवा बेचने का खेल भी चल रहा है। अंग्रेजी दवाओं के इस चक्रव्यूह में फंसना तो आसान है मगर निकलना दूभर।

एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 200 बिलियन डॉलर का घटिया और नकली दवाओं एवं वैक्सीन का धंधा है। एशिया में बिकने वाली 30 प्रतिशत दवाएँ नकली या घटिया हैं। भारत में बिकने वाली हर पाँच गोलियों के पत्तों में में से एक नकली है। इन दवाइयों से हर वर्ष लगभग 5 प्रतिशत धनहानि देश को होती है और ये धंधा असली दवाइयों के व्यापार से भी ज्यादा तरक्की कर रहा है। दवा कंपनियां अपने मुनाफा एवं विपरण में सहुलियत के लिए इन रसायनों को अलग से अपना ब्रांड नाम देती है। जैसे पारासिटामोल एक साल्ट अथवा रसायन का नाम है लेकिन कंपनिया इसे अपने हिसाब से ब्रांड का नाम देती हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करती है। ब्रांड का नाम ए हो अथवा बी अगर उसमें पारासिटामोल साल्ट है तो इसका मतलब यह है कि दवा पारासिटामोल ही है।

– बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा युद्धाभ्यास ऑपरेशन वायुशक्ति

जैसलमेर, (नि.सं.)। भारतीय वायु सेना के सबसे बड़ी एक्सरसाइज वायुशक्ति 7 मार्च सोमवार को चांधन फील्ड फायरिंग एरिया जैसलमेर में होगी । प्रत्येक तीन वर्ष में होने वाले ऑपरेशन वायुशक्ति को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आ रहे हैं।

इंडियन एयरफोर्स के पायलट पिछले एक माह से ऑपरेशन वायुशक्ति की तैयारियों में जुटे हुए हैं । देश का सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल भी पहली बार ऑपरेशन वायुशक्ति में अपनी मारक क्षमता दिखाएगा । ऑपरेशन वायुशक्ति में 109 फाइटर , जिनमें राफेल , सुखोई , मिराज , जगुआर व मिग -29 उड़ान भरके चांधन में दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर अटैक करेंगे । इसके अलावा 24 अपाचे , चिनूक , लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर , सात ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट , चार रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी इस ऑपरेशन वायुशक्ति का हिस्सा होंगे । वहीं आकाश व स्पाइडर मिसाइल की क्षमता भी इस युद्धाभ्यास में देखने को मिलेगी। पिछले एक महीने से एयरफोर्स के जांबाज इस युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं । फाइटर जेट जोधपुर , फलौदी , जैसलमेर , उत्तरलाई , नाल , बठिंडा , आगरा , हिंडन व अंबाला एयरबेस से उड़ान भरके चांधन फायरिंग रेंज में आसमान से जमीन पर निशाना साध रहे हैं । पायलट्स को उनके टारगेट मैप पर समझाए जाते हैं । उड़ान भरने के बाद वे अपने टारगेट को हिट करते हैं । उनका टारगेट कंट्रोल रूम में सीधे स्क्रीन पर देखा जा सकता है।

उदयपुर में कसारों की पोल में कलाकारों द्वारा तैयार की गई धातु शिल्प की मूर्तियां।

शिक्षक ने शादी की सालगिरह पर बगीचा तैयार करने का संकल्प लिया

शिक्षक दंपती ने विद्यार्थियों व स्कूल स्टॉफ की मदद से इक्यावन पौधे लगाकर बगीचा तैयार करने शुरूआत की।

झुंझुनूं,(निसं)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत लाम्बा के शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाम्बा में गुरूवार सुबह एक खूबसूरत गार्डन का शुभारम्भ हुआ।

प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार डूडी ने अपनी धर्म पत्नी संतोष डूडी प्रधानाध्यापिका रा.मा.विद्यालय भूरासर का बास की प्रेरणा से अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर एक और अनूठा नवाचार करते हुए स्कूल परिसर में 70 बाई 70 फिट का एक बगीचा तैयार करने का निश्चय किया और एक ही दिन में विद्यार्थियों व स्कूल स्टॉफ सदस्यों की मदद से इक्यावन पौधे लगाकर इसकी शुरूआत की। बगीचे में प्रमुख रूप से अशोक, फाइकस, मोर पंखी व चम्पा जैसे फूलदार व सौंदर्यकरण वाले पेड लगाए गए। एसडीएम के सघन औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल में पधारी एसीबीइइओ प्रथम चन्द्रकला ने भी

■ शिक्षक दंपती ने स्कूल परिसर में 70 बाई 70 फिट का एक बगीचा तैयार करने का संकल्प लिया

अपने कर कमलों से एक पौधा लगाकर लाम्बा टीम का इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देकर हौंसला बढाया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि भरत सिंह शेखावत, पूर्व प्रधानाचार्य मनेष कृष्णियां, बहादुर सिंह नूनियां, बिशम्बर बिजारणियां, शिवराज सिंह शेखावत व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों ने स्कूल में हो रहे इन विकास कार्यों का श्रेय प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार डूडी की लगन व उनकी मेहनत को दिया।

राजस्थान में धातु शिल्प का कार्य मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश से आया

प्राचीन काल से आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उडीसा, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में धातु शिल्प का कार्य किया जाता है। बिहार में बेतिया, पश्चिमी चंपारण एवं वैशाली धातु की मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड ढोकरा पात्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं । मध्यप्रदेश में दतिया और सागर में बेल धातु का कार्य किया जाता है। मध्यप्रदेश के शिल्पकार लोहे से उपयोगी वस्तुएं बनाने में दक्ष हैं। यहां पर गोंड, मुरिया, ध्रुव और भात्रा समुदाय के लोग इस कला में निपुण हैं। बुंदेलखंड में धातु के आभूषण, बक्से, दीपक, कटोरे, रायगढ की पशु मूर्तियां, बस्तर की मूर्तियां कारीगरों की रचनात्मक उत्कृष्टता के उदाहरण हैं।

राजस्थान में धातु शिल्प का कार्य मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से आया। यहां जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर में धातु शिल्प की पारंपरिक मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। पहले उदयपुर में जगदीश मंदिर के सामने कसारों की ओल में अधिकांश परिवार धातु की मूर्तियां बनाने का कार्य करते थे, लेकिन अब यह कार्य 5-6 परिवारों में सिमट गया है। ये परिवार धातु शिल्प की मूर्तियां मध्यप्रदेश से लाकर बेचते हैं।

कसारों की ओल निवासी गौरव कसारा मूर्ति निर्माण कार्य में संलग्न हैं। उनकी चार पीढियां धातु शिल्प की सिद्धहस्त शिल्पकार रही हैं।

गौरव कसारा ने बताया कि धातु की कलात्मक वस्तुएं बनाने से पूर्व वांछित वस्तु की आकृति बनाई जाती है। यह आकृति बारीक चिकनी मिट्टी से तैयार की जाती है। इसके बाद मिट्टी से बनी आकृति को सुखाकर मेण चढाया जाता है। मेण से ही वांछित वस्तु का श्रृंगार किया जाता है।

पन्नालाल मेघवाल

इसमें मूर्ति के हाथ, मुंह, आंखें आदि बनाई जाती हैं । यह कार्य शिल्पकार अपने हाथ से करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर लकडी के बने औजारों की सहायता ली जाती है।

उन्होंने बताया की इस प्रक्रिया के बाद आकृति पर कपडे की छनी मिट्टी एवं बालू मिश्रित मिट्टी का लेप चढाया जाता है। इस आकृति के नीचे एक छेद रखा जाता है। इस छेद पर मेण लगाया जाता है। इसके बाद इस आकृति को पुन: धूप में सुखाया जाता है। फिर उस आकृति में मेण को आंच से पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता है। और दोनों मिट्टी के बीच के खोखले स्थान में चार सौ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पीतल, तांबा या लोहा पिघलाकर डाल दिया जाता है। इस प्रकार धातु शिल्प की विभिन्न कलाओं पर आधारित वस्तुएं तैयार की जाती है।

उनके पिता विष्णुचंद्र कसारा ने अब तक पीतल, तांबा एवं लोहे की बनी अनेक कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया है । वे धातु शिल्प से बने गणेशजी, शिवजी,

■ उदयपुर आने वाले पर्यटक धातु शिल्प की मूर्तियां खरीदकर साथ ले जाते हैं

पार्वतीजी, लक्ष्मीजी, सरस्वतीजी, नटराज, कृष्णअवतार, विष्णु भगवान का सिंहासन, रथ, नागकन्या, मंदिर की घंटियां, दरवाजे पर लगाने वाले शेर एवं विभिन्न प्रकार के मुखौटे बनाने में निपुण हैं। विष्णुचंद्र कसारा पारंपरिक मूर्तियों के अलावा शेर, हाथी, घोड़े, दीपक, आरतियां, फ्रेम, पिंजरा, ढाल, फरसे आदि भी बखूबी बना लेते हैं। उनका कहना है कि कई बार किसी आकृति के निर्माण के लिए अलग-अलग पार्ट्स तैयार किए जाते हैं फिर वेल्डिंग कर आपस में जोड़े जाते हैं।

उदयपुर में मुखर्जी चौक स्थित रामजी तंबोली एवं मादडी इंडस्ट्रियल एरिया निवासी अय्यूब भाई भी धातु शिल्प के सिद्धहस्त शिल्पकार हैं। देसी पर्यटक इन धातु शिल्प की मूर्तियों को अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए देवालय में प्रतिष्ठापित करने के लिए ले जाते हैं। और अन्य कलाकार कलात्मक मूर्तियों को चाव से खरीद कर अपने घरों को सुसज्जित करने के लिए खरीदते हैं। उदयपुर आने वाले विदेशी पर्यटक भी धातु शिल्प की मूर्तियां बड़े पैमाने पर खरीदकर साज-सज्जा के लिए अपने साथ ले जाते हैं।

– पन्नालाल मेघवाल
वरिष्ठ लेखक एवं
स्वतंत्र पत्रकार।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 4 मार्च, 2022

फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2078, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:51 तक, शत्रु योग रात्रि 1:44 तक, बालव करण प्रात: 9:11 तक, चन्द्रमा मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-मकर, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

आज राजयोग सूर्योदय से रात्रि 1:51 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रात्रि 1:51 से सूर्योदय तक है।

आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगोन्नति, फुलेरा दोज (स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त) है। आज श्री रामकृष्ण परमहंस जयन्ती, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:19 तक, लाभ-अमृत 8:19 से 11:12 तक, शुभ 12:39 से 2:05 तक, चर 4:59 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:52, सूर्यास्त 6:25

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष और भय बना रहेगा।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नवीन कारोबारी अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सुसंदेश प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कार्यकारी योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
धार्मिक-मांगलिक कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कन्या
परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ-मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला
व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में आपसी अनबन-मतभेद बढ़ने का भय बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। धार्मिक-सामाजिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।